सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

Fax: 0141-2385027(O), E-Mail ID: rajpr_dsplan@rediffmail.com

क्रमांकः एफ.4( )परावि/आप्र/RGPSA/वित्तीय आवंटन/2014–15/ 1418 जयपुर, दिनांकः 3-2-2015

प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या /2014–15

भारत सरकार द्वारा राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान योजना वर्ष 2013–14 में स्वीकृत पंचायत भवनो को पूर्ण कराने हेतु राज्यांश कि राशि वित्तीय प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुऐ सलग्न लिस्ट अनुसार ग्राम पचायतों के बैंक खातो में डिमान्ड ड्राफ्ट के माध्यम से राशि रूपये 20.00 लाख (अक्षरे रूपये बीस लाख) हस्तान्तरण करने की एतद् द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है:–
राशि का विकलेय मद निम्नानुसार है:

मांग संख्या–30	मांग संख्या–41	मांग संख्या–51
2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम
196 –जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता	196 –जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता	196 –जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता
(29) –राजीव गॉधी पचायत सशक्तीकरण अभियान योजना	28) –राजीव गॉधी पचायत सशक्तीकरण अभियान योजना	30) –राजीव गॉधी पचायत सशक्तीकरण अभियान योजना
[02] –कार्यकलाप सम्बन्धी गतिविधियां	[02] –कार्यकलाप सम्बन्धी गतिविधियां	[02] –कार्यकलाप सम्बन्धी गतिविधियां
93 – पूंजीगत सम्पतियो का निर्माण(आयोजना)	93–पूंजीगत सम्पतियो का निमार्ण(आयोजना)	93–पूंजीगतसम्पतियो निमार्णका(आयोजना)
राशि रूपये 8.00 लाख (अक्षरे रूपये आठ लाख मात्र)	**राशि रूपय 8.00 लाख (अक्षरे रूपये आठ लाख मात्र)**	**राशि रूपये 4.00 लाख (अक्षरे रूपये चार लाख मात्र)**

यह स्वीकृति वित्त (व्यय–5) विभाग की आई.डी.संख्या–331400611 दिनांक 14.10.2014 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जा रही है। ग्राम पचायतें, **योजना के दिशा–निर्देशों, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम/नियम के प्रावधानों की अनुपालना करते हुए उपरोक्त राशि का व्यय किया जाना सुनिश्चित करेंगी।**
संलग्नः ग्राम पचायतवार राशि हस्तान्तरण का विवरण।

शासन सचिव एवं आयुक्त
(पंचायती राज विभाग)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
2. महालेखाकार, (लेखा एवं हक) राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–5) विभाग।
4. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय।
5. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, सचिवालय को प्रेषित कर अनुरोध है कि विभाग द्वारा प्रस्तुत किये जा रहे एफ.वी.सी. बिलों के अनुसार डिमान्ड ड्राफ्ट/चैक तैयार करवाकर विभाग को अविलम्ब उपलब्ध कराने का श्रम करावें।
6. आहरण एवं वितरण अधिकारी, विभाग मुख्यालय को प्रेषित कर निर्देश है कि उक्त स्वीकृति के आधार पर संलग्न सूची के अनुसार ग्राम पंचायतों को डिमान्ड ड्राफ्ट तैयार करवाने की व्यवस्था करावें।

कार्यक्रम के तहत वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिये वित्तीय प्रावधानों की स्थिति निम्नानुसार है:–

(राशि लाख रूपये में)

बजट मद	वित्तीय प्रावधान	उपयोग की गई राशि	वर्तमान स्वीकृति की राशि	कुल व्यय (3+4)	अवशेष राशि
1	2	3	4	5	6
30-2515-196-29-02-93-ST	486.00	58.58	8.00	66.58	419.42
41-2515-196-28-02-93-NON SC ST	2473.20	87.70	8.00	95.70	2377.50
51-2515-196-30-02-93-SC	640.80	20.00	4.00	24.00	616.80
योग	**3600.00**	**166.28**	**20.00**	**186.28**	**3413.72**

7. अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् – बांसवाडा, भीलवाडा, टोंक, जोधपुर, एवं जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त योजना में स्बीकृत नवीन ग्राम पचायत भवनों का निमार्ण कार्य पूर्ण करावे
8. विकास अधिकारी पचायत समिति, तलवाडा, सहाडा, निवाई, गोविन्दगढ़, एवं औसियां।
9. ग्राम सचिव ग्राम पचायत ..... पचायत समिति..... जिला परिषद..... को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु।
10. प्रोग्रामर, पंचायती राज विभाग को उक्त स्वीकृति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने बाबत।
11. सांख्यिकी/अंकमिलान/संकलन/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव
(जिला आयोजना)

राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान 2013–14 के तहत नवीन ग्राम पंचायत भवनों के निर्माण हेतु आवंटित राज्यांश की राशि का विवरणः–

क्र. सं.	ग्राम पंचायत	पंचायत समिति	जिला	स्वीकृत राशि (लाख रूपये में)
1	सालिया	तलवाड़ा	बांसवाड़ा	4.00
2	लाखौला	सहाड़ा	भीलवाडा	4.00
3	चैनपुरा	निवाई	टोंक	4.00
4	अमरपुरा	गोविन्दगढ़	जयपुर	4.00
5	मतोडा	औसिंया	जोधपुर	4.00
योग				**20.00**